To.
The District Judge,
Kanpur Dehat.

Req-79

62

No: 5483/IV-2529/Admn. A.I Dt: 11-4-2002

Sub: Regarding representation of Sri Ashok Kumar Yadav, ACJM-II Kanpur Dehat ~~a~~ in respect of house rent ~~c~~certificate.

S.O-Admn. A.I
May request DR(M) to issue?
[signature]
9.4.02.

DR(M)
May issue?
R Pandey
9.4.2002
S.O. AdAI

Yes.
[signature]
10.4.2002
DR(M)

Sir,

With reference to your end: No: 114/XV dt: 5-2-2002, on the above subject I am directed to request you kindly to inform Sri Ashok Kumar Yadav that in terms of G.O. No: G-1-77/X-2001-270/88 dt: 06-02-2001, a Government servant is entitled for House rent allowance on the basis of pay scale in which he is working if free government accommodation is not provided to him as per the terms of his service and for ~~~~ claiming such house rent allowance a certificate to the effect (copy enclosed for ready reference) completed in all respect & duly countersigned by the District Judge Concerned has to be sent to this Court for authorisation and onward transmission to the Joint Director of Treasuries,

Allahabad for issue of revised pay slip.

~~to~~ therefore, ~~to~~ Sri. Ashok Kumar Yadav may be asked to take further necessary action accordingly.

Yours faithfully

[signature] 10.4.2012

Deputy Registrar.

Encl: As above.

Register No. 3724
File No. IV/2529
Serial No. 58

प्रेषक,

आलोक कुमार यादव,
ए०सी०जे०एम कोर्ट नं०-2
कानपुर देहात।

सेवा में,

श्री मान् रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा, श्री मान् जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषय:- वाजिब किराया प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश देने के संबंध में:-

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से जनपद वाराणसी से स्थानान्तरित हो कर जनपद कानपुर देहात में दिनांक 8.6.01 को अपर मुख्य न्यायिक मजि० कोर्ट सं०-2, का०देहात के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। प्रार्थी को सरकारी आवास न्याय विभाग के आवास के कम होने के कारण प्राप्त न हो सका। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट कानपुरनगर को पत्र भी प्रेषित किया। श्री मान् जनपद न्यायाधीश कानपुरदेहात की तरफ से भी मकान के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट कानपुरदेहात को पत्र प्रेषित किया गया क्योंकि कानपुर देहात के न्याय विभाग का मुख्यालय कानपुर शहर में ही स्थित है। प्रार्थी को सरकारी आवास उपलब्ध न होने के कारण श्री जगदीश प्रसाद चौधरी के आवास 46, दुर्गा हाउसिंग सोसाइटी, शिकटरा रोड लाल बंगला में प्रथम तल मुबलिग 6500/= (छ हजार पांच सौ रूपया) प्रति माह किराया पर दिनांक 1.9.2001 से लेना पड़ा। प्रार्थी तब से उक्त आवास में अपने ~~खर्चे~~ व्यय पर रह रहा है। प्रार्थी ने वाजिब किराया प्रमाणपत्र जारी करने हेतु दिनांक 7.9.01 को जिला मजिस्ट्रेट कानपुर ~~देहात~~ नगर को पत्र प्रेषित किया। पुनः 17.9.01 को

05 MAR 2002

....2 पर

Reg-79

भी वाजिब किराया प्रमाणपत्र जारी करने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया परन्तु आज तक जिला मजिस्ट्रेट कानपुरनगर द्वारा वाजिब किराया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है। प्रार्थी के वेतन से मु० 6500/= (छः हजार पांच सौ रुपया) प्रति माह बतौर किराया मकान मालिक को दिया जाता है। जिससे प्रार्थी अत्यन्त आर्थिक समस्याओं से त्रस्त है। मकान किराये पर लिये हुए 5 माह का समय गुजर गया है ~~परन्तु~~ फिर भी वाजिब किराया प्रमाणपत्र न मिलने से प्रार्थी को जो रुपया राज्यसरकार से वापस मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थी को फरवरी माह के वेतन से आय कर की भी कटौती कराना है। इससे भी कष्ट मे प्रार्थी और आर्थिक परेशानी मे पड़ जायेगा। 5 महीने मे कानपुर नगर के प्रशासन द्वारा वाजिब किराया प्रमाणपत्र न दिये जाने से ऐसा लग रहा है कि अभी निकट भविष्य मे वाजिब किराया प्रमाण पत्र नहीं मिल पायेगा। ऐसी स्थिति मे बाध्य होकर प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय को आवश्यक आज्ञा हेतु पत्र प्रेषित करना पड़ रहा है। मूल के मकान खाली होने तथा उनके आवंटन के सम्बन्ध मे प्रार्थी को अभी सही जानकारी नहीं हो पायी है। उसके सम्बन्ध मे जानकारी होने पर पत्र प्रेषित किया जायेगा।

अतः माननीय उच्च न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को वाजिब किराया प्रमाणपत्र दिलाये जाने हेतु आदेश देने की कृपा की जाये।

सादर,

भवदीय

Ashok Kumar yadava 2.2.02

(अशोक कुमार यादव)
ए•सी•जे•एम•द्वितीय,
कानपुर देहात।

दि० 2•2•02

KANPUR DEHAT JUDGESHIP, KANPUR.

No. 114/XV Dated. 5-2-2002.

Forwarded to the Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, for necessary action.

District Judge,
Kanpur Dehat.

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.05 16:34:32 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad